

विधि

# राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा : डब्ल्यू.पी. 65/2016 स्कूल शिक्षा केन्द्र, मुख्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ... 01 ...

विषय

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 65 / 2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्ति करने के संबंध में।

नस्ती क्र. 1301/14-2

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध शासन का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला कटनी से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, कटनी को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण CAC की नियुक्ति से संबंधित है।

JD(P)

हस्ताक्षर 01/6 क्रोडरा हस्ताक्षरार्थ

2-3-16

AD(P)

21/3/16  
S. Dahim

आमंत्र

S. Dahim  
(शीला दाहिम)  
अपर मिशन संभाजक  
राज्य शिक्षा केन्द्र

AD(P)

JD(P)

6/

4/3

3/3  
03/03

जा.क/21/15/सुतर्जना/न्या./2016/1813-14मा.प्रा.दिनांक 4.3.16

1341/Com/2016  
3-03-16

653/AMD  
03-2-16



# राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा विधि - SSA

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक . 02 . .

विषय . W.P. . 65/2016

नस्ती क्र. विधि/2016/14C

विषय - न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 65/2016  
द्वारा श्री नरेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध शासन एवं  
अन्य में 01C की नियुक्ति करने के संबंध में।

अनुमोदन के नस्ती के पूर्व पृष्ठ N-1 पर दिखे गए  
आदेश पर 01C आदेश जारी किया  
गया है। उत्तरदाता आदेश हेतु नस्ती विधि विभाग  
को संकेत करना चाहेंगे।

5-3-16

JD(P)

हस्ता प्रतिलिपि को प्रेषित करी जाये।  
नस्ती विधि विभाग को कोकिल भेजा जाये।

(देवमूर्ति प्रसाद)  
संयुक्त सचिव  
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

AD(P) (L)

माहता संसोध  
S.E.

विधि विभाग

S. Dahim  
(श्रीला बालिका)  
अपर मिशन संयोजक  
राज्य शिक्षा केन्द्र

दीप्ति चौड़ मुकेश  
आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र

1483/Com/2016  
10-3-16

722/AMD  
10-3-16

7548  
CP

गोपनी

# कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया/2016/1813

भोपाल, दिनांक- 4.2.2016

## आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं० 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं०एफ-16/517/97/वि०प्र०/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, कटनी को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उल्लेखित गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उल्लेखित गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।



13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्र. अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रकम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अवेधित करें।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)  
अभ्युक्त

✓ राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश

पृष्ठां.कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया./2016/1814  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक-.....फरवरी 2016

4.3.16

- 1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
- 2 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3 महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।
- 4 जिला परियोजना समन्वयक, कटनी की ओर पालनार्थ। कृपया नियम समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करायें।
- 5 जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

आभ्युक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

✓ मध्यप्रदेश

0/L

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

Process Id: 11973/2016

**WP/65/2016**

**From**

**Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur**



**FOR ADM**

**Fixed for 29-02-2016**

**WP-DA-17**

**Respondent No. 2**

**To,**

**Commissioner Rajya Shiksha Kendra,  
Pushak Bhawan B Wing Arera Hills,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,**

*JD(A)  
16/02*

**Jabalpur 25-01-2016**

**Sub:** Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)  
No. **WP/ 65/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Rakesh Dubey** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/65/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **29-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exarte.